कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/मा.चि./2023/ 281

खण्डवा, दिनांक 05-8-2023

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनमण्डलाधिकारी खण्डवा द्वारा श्री आचार्य शंकर अंतराष्ट्रीय वेदांत संस्थान गैरवानिकी वन भूमि के बदले मोट आवलिया कक्ष क्रमांक 63 की रकबा 10.00 हे. की प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष रोपण एवं 9 वर्ष का रखरखाव (वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक) की वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना प्रस्तुत की है। म.प्र. बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर 1995 के वाल्यूम-II के अनुक्रमांक-14 की एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/ 03/नियन/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/ 191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 के सरल क्रमांक 20 पर प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए योजना का अनुमोदन किया जाकर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.मा.	स्थल	रकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय											
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year	योग
1	परियोजना खण्डवा मोट आवलिया कक्ष 63 में	10.00	1440000	1017600	1269668	1189451	227250	260949	212775	221088	230875	244780	260710	6575146

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशो का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

1) समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता के लिये आप उत्तरदायी होगें।
2) समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉच दर के अनुसार कराया जावें।
3) कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आंवटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करायें।
4) यदि किसी कार्य हेतु जाय दरें स्वीकृत नही है तो ऐसे कार्यो को प्रारंभ करने के पूर्व जॉच दरो की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
5) वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
6) कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जावें।
7) ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जावें।
8) योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जावें।
9) सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावें।
10) कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जावें।
11) शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।
12) उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जावें।

13) समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जावें।

14) संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जावें।

15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वन संरक्षक खण्डवा वृत्त का है।

16) प्रस्तुत प्रोजेक्ट अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र की प्रस्तुत की गई है भविष्य में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

17) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–04/2023/विकास/44–3/10–3/1565 दिनांक 06.06.2023 में दिये निर्देशानुसार वृक्षारोपण में न्यूनतम 50 प्रतिशत पौधे वनोपज (मिश्रित प्रजाति) के लगाये जावे।

18) वरिष्ठ के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 से 2 प्रतिशत दुर्लभ संकटापन्न एवं विलुप्तप्राय (RET) प्रजातियों को शामिल किया जाए। वन क्षेत्रों में विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण कदापि नहीं किया जाएगा।

19) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।

(रमेश गणावा)
वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

पृ.क्र./व्यय/2023/ 6775 खण्डवा, दिनांक 05-9-2023

प्रतिलिपिः— 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल खण्डवा की ओर आपके पत्र क्रमांक/ मा.चि./2023/3312 दिनांक 05.09.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः— प्रोजेक्ट की एक प्रति।

वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृॅक्षारोपण योजना

स्थान– बीट आवलिया

कक्ष कमांक 63 बी

वर्ष –2023–24 से 2033–34

रकबा –10.00 हेक्ट.

वनपरिक्षेत्रा खण्डवा सा.

वनमंडल खण्डवा सा.